RNI NO. : MAHHIN/2019/77511 मुंबई : बुधवार 08 नवंबर 2023 वर्ष 05 अंक 197 संपादक : फैसल शेख पृष्ठ : 4 कीमत : 03 रुपये

दैनिक
रोकठोक लेखनी
खबरें बे-रोकटोक

Read E Newspaper at Paper Boy App, Magzter App, Jio News App, Paytm App, Dailyhunt App

महाराष्ट्र में ओबीसी आधार खो रहे - छगन भुजबल

बीड दौरा राजनीति प्रेरित - मनोज जारांगे

बीड, मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जारांगे ने सोमवार को आरोप लगाया कि महाराष्ट्र के मंत्री छगन भुजबल का बीड दौरा राजनीति से प्रेरित था। उन्होंने कहा कि भुजबल अपनी सुविधा के अनुसार ओबीसी को याद करते हैं। छत्रपति संभाजीनगर में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए जारांगे ने कहा कि मराठा और ओबीसी दोस्त हैं। उन्हें भड़काने के राजनीतिक प्रयास निरर्थक साबित होंगे।

बता दें कि आमरण अनशन खत्म करने के बाद जारांगे छत्रपति संभाजीनगर शहर के एक अस्पताल में स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं।

गौरतलब है कि महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नेता छगन भुजबल ने मराठा आरक्षण आंदोलन के दौरान हिंसा में निशाना बनी बीड जिले का दौरा किया। उन्होंने राकांपा विधायक प्रकाश सोलंकी और संदीप क्षीरसागर के घरों पर जाकर जानकारी ली। उन्होंने हिंसक घटनाओं की जांच की मांग भी की।

बीड हिंसा में 40 पुलिसकर्मी घायल, 15 से अधिक सरकारी बसों में आगजनी

जारांगे ने सितंबर में जालना जिले के अंतरवाली सारथी गांव में अपने समर्थकों पर पुलिस लाठीचार्ज की जांच की भी मांग की। गौरतलब है कि जारांगे उस समय गांव में मराठा आरक्षण के लिए भूख हड़ताल कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों ने कथित तौर पर अधिकारियों से कहा था कि जारांगे को अस्पताल नहीं ले जाया जाएगा। इसके बाद पुलिस ने हिंसक भीड़ को तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़े। बीड की हिंसा में 40 पुलिसकर्मियों सहित कई लोग घायल हो गए और 15 से अधिक राज्य परिवहन बसों को आग लगा दी गई।

एनसीपी नेता छगन भुजबल के बारे में जारांगे ने सोमवार को कहा, ''अगर भुजबल को लगता है कि बीड की घटनाएं पूर्व नियोजित थीं और वह जांच चाहते हैं, तो अंतरवाली लाठीचार्ज और गोलीबारी की घटना की भी जांच का आदेश दिया जाना चाहिए।'' जारांगे के अनुसार, उच्च न्यायालय के एक पूर्व न्यायाधीश और सरकारी प्रतिनिधिमंडल ने बीड का दौरा किया। भुजबल ने इसकी आलोचना की, जिसकी निंदा की जानी चाहिए।

कुपवाड़ा में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा स्थापित

हाथ में तलवार लेकर पाकिस्तान की ओर देख रहे शिवाजी महाराज... जम्मू कश्मीर पहुंचे एकनाथ शिंदे ने क्यों कहा ऐसा?

जम्मू-कश्मीर। जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में मंगलवार को छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा लगाई गई। इस प्रतिमा का अनावरण महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किया। कुपवाड़ा में भारत-पाकिस्तान सीमा के पास 41 राष्ट्रीय राइफल (मराठा एलआई) में इस प्रतिमा को स्थापित किया गया है। इस दौरान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिंदे ने कहा कि यह गर्व की बात है कि मंगलवार को जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि मुझे खुशी है कि इस मौके के लिए में बहुत ही आभारी हूं।

मुख्यमंत्री ने अपने भाषण की शुरूआत छत्रपति शिवाजी महाराज की जयकार से की। मुख्यमंत्री ने अपील की कि यह हुंकार सामने पर्वत श्रृंखला के उस पार पाकिस्तान तक पहुंचनी चाहिए। इस मौके पर मुख्यमंत्री शिंदे ने कहा कि अश्वारोही प्रतिमा पर छत्रपति शिवाजी महाराज पाकिस्तान की ओर देख रहे हैं। उनके हाथ में तलवार है। चूंकि महाराज यहां हैं, इसलिए शत्रु यहां पैर रखने का साहस नहीं करेगा। इस मूर्ति को देखने के बाद आतंकवादी भी कश्मीर में घुसने की हिम्मत नहीं करेंगे।

आपको बता दें कि शिंदे ने सोमवार को जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से राजभवन में मुलाकात की। बैठक में महाराष्ट्र के वन, सांस्कृतिक मामलों और मत्स्य पालन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार भी उपस्थित थे। मुंबई के राजभवन में छत्रपति शिवाजी महाराज की घुड़सवारी प्रतिमा का ढोल नगाड़ों और जय भवानी जय शिवाजी के नारों के बीच स्वागत किया गया था। फिर वहां से राज्यपाल रमेश बैस, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, सांस्कृतिक मामलों के मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने हरी झंडी दिखाई और प्रतिमा को कुपवाड़ा के लिए रवाना किया।

कर्जत के पास पुल से चलती मालगाड़ी पर गिरी कार

आरपीआई कार्यकर्ता समेत तीन की मौत

कर्जत, महाराष्ट्र के कर्जत और पनवेल रेलवे स्टेशनों के बीच मंगलवार सुबह बड़ा हादसा हो गया। यहां एक कार पुल से चलती मालगाड़ी पर गिर गई। इस दौरान एक स्थानीय आरपीआई पदाधिकारी सहित तीन लोगों की मौत हो गई। घटना में दो घायल भी हुए हैं। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने घटना की जांच की मांग की है।

पनवेल पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी ने बताया कि यह दुर्घटना सुबह 3.30 से 4 बजे के बीच किनावली के पास एक पुल पर हुई, जब कार मुंबई-पनवेल रोड पर नेरल की ओर जा रही थी। मृतकों की पहचान धमानंद गायकवाड़ (41) और उनके चचेरे भाई मंगेश जाधव (46) और नितिन जाधव (48) के रूप में हुई। अधिकारी ने

बताया कि गायकवाड़ रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (अठावले समूह) का कार्यकर्ता था। मध्य रेलवे (सीआर) के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी डॉ. शिवराज मानसपुरे ने कहा कि मालगाड़ी पनवेल से रायगढ़ जिले के कर्जत की ओर जा रही थी और घटना के कारण इसके कुछ वैगन अलग हो गए। उन्होंने बताया कि दुर्घटना के कारण सीआर का पनवेल-कर्जत खंड सुबह 3.43 बजे से सुबह 7.32 बजे तक बंद रहा। घटना के कारण केवल एक ट्रेन 17317 हुबली-दादर एक्सप्रेस को कर्जत-कल्याण मार्ग से डायवर्ट किया गया।

पार्टी टूटने के बाद फर्स्ट शो में फ्लॉप रहे शरद और उद्धव, जानिए बीजेपी ने कैसे दी मात?

मुंबई : 2024 के लोकसभा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र पंचायत चुनाव का बीजेपी के लिए राहत लेकर आया है। इस चुनाव में न सिर्फ बीजेपी ने नंबर वन की पोजिशन को हासिल कर अपनी साख मजबूत की है बल्कि उसके महायुति गठबंधन की पार्टियों ने उम्दा प्रदर्शन किया है। बीजेपी, एनसीपी अजित गुट और शिवसेना शिंदे गुट ने कुल 2359 ग्राम पंचायतों में से 1372 सीटें जीत ली हैं। इस चुनाव में महाअघाड़ी गठबंधन को बड़ा धक्का लगा है। सबसे अधिक नुकसान उद्धव ठाकरे की शिवसेना को हुआ है। पार्टी में दो फाड़ होने के बाद पहले चुनाव में सीएम शिंदे की शिवसेना ने ग्रामीण इलाकों में ज्यादा

सीटें जीती हैं। उद्धव की शिवसेना पंचायत चुनाव में पांचवें नंबर पर रही। महाराष्ट्र पंचायत चुनाव ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) पर मालिकाना हक के लिए लड़ रहे चाचा शरद पवार को बड़ा फैसला सुनाया है। इस चुनाव में अजित गुट ने शरद पवार खेमे को बड़े अंतर से पछाड़ दिया। शरद पवार गुट की एनसीपी पंचायत चुनाव में चौथे स्थान पर रही है।

पिछले दो साल में महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ी उठापटक हुई। एक महीने के लंबे ड्रामे के बाद जून 2022 में 40 विधायकों के साथ बगावत करने वाले शिवसेना के नेता एकनाथ शिंदे ने बीजेपी के समर्थन से सरकार बनाई। बगावत के कारण उद्धव ठाकरे की महाअघाड़ी गठबंधन की सरकार गिर गई थी। इसके बाद बागी विधायकों की सदस्यता का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। महायुति की सरकार के एक साल पूरे करने से पहले एनसीपी में फूट पड़ गई। अजित पवार ने अपने चाचा शरद पवार के खिलाफ बगावत का झंडा उठाया और बीजेपी-शिंदे के साथ सरकार में शामिल हो गए। इस राजनीतिक उठापटक का ठीकरा भारतीय जनता पार्टी पर फोड़ा गया। उद्धव ठाकरे और शरद पवार की पार्टी ने खुले तौर से इस बदलाव के लिए बीजेपी को विलेन बता दिया।

संपादकीय / लेख

संदेह के घेरे में व्यवस्था

फैसल शेख
(प्रधान संपादक)

लोकतांत्रिक शासन-प्रणाली में वित्तीय लेन-देन की पारदर्शिता एक अपरिहार्य आवश्यकता है। भारत में चुनावी प्रक्रिया में भागीदारी करने वाले विभिन्न दलों के अपारदर्शी और संदिग्ध लेन-देन को नियंत्रित करने के लिए वर्ष 2017 में चुनावी बांड योजना का सूत्रपात किया गया, लेकिन अब यह व्यवस्था संदेह के घेरे में आ गई है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में पांच जजों की संविधान पीठ ने चुनावी बांड की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया है। संविधान पीठ ने भारत के चुनाव आयोग को 30 सितंबर, 2023 तक विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा प्राप्त चंदे का समग्र और विस्तृत विवरण प्रकाशित करने को कहा है। देश में चुनावी बांड योजना का उद्देश्य राजनीतिक चंदे के लेन-देन में पारदर्शिता लाना और देश के राजनीतिक वित्तपोषण परिदृश्य को स्वच्छ बनाना था। चुनावी बांड व्यक्तियों और कंपनियों को यह सुविधा देते हैं कि वे गोपनीय ढंग से देश के राजनीतिक दलों को आर्थिक सहायता प्रदान कर सकते हैं। केवल वे राजनीतिक दल, जिन्होंने हालिया संपन्न राष्ट्रीय चुनावों में कम से कम एक प्रतिशत मत हासिल किए हैं, इस प्रकार के बांड की प्राप्ति के पात्र हैं। 1,000 रुपये से लेकर 100 करोड़ रुपये तक के इन बांडों को केवल एसबीआइ की निर्धारित शाखाओं से ही खरीदा जा सकता है। इन्हें खरीदने के लिए बैंक हस्तांतरण या इलेक्ट्रानिक भुगतान जैसी पहचान योग्य लेन-देन पद्धतियों का इस्तेमाल करना अनिवार्य है। इसमें दानकताओं की पहचान गुप्त रखी जाती है। राजनीतिक दल 15 दिनों की निश्चित अवधि में बांड को गोपनीय ढंग से भुना सकते हैं और इस राशि का उपयोग चुनावी प्रचार अभियान आदि में कर सकते हैं। इन चुनावी बांडों की खरीद पर कोई संख्यात्मक सीमा निर्धारित नहीं है तथा इनका व्यक्ति अथवा कंपनी की आय और अर्जित लाभ से भी कोई समानुपातिक संबंध नहीं है। चुनावी बांड योजना ने राजनीतिक दलों को तीन महत्वपूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की हैं। पहली, आयकर अधिनियम-1961 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 के तहत चुनावी बांड से प्राप्त योगदान की सूचना देने या प्रकाशित करने की अनिवार्यता से मुक्ति। इससे पारदर्शिता न्यूनतम हो गई है। दूसरी, कंपनी अधिनियम-2013 के तहत कंपनियों द्वारा राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले दान की ऊपरी सीमा की समाप्ति। इससे अनियंत्रित और असीमित वित्तीय सहयोग का मार्ग प्रशस्त हो गया है। तीसरी, विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम-2010 के तहत विदेश से धन प्राप्ति के मामले में राजनीतिक दलों के लिए विशेष छूट का प्रविधान। इससे राजनीतिक दलों के नीति-निर्माण और निर्णय-प्रक्रिया में बाहरी प्रभाव और अंतरराष्ट्रीय हस्तक्षेप की आशंका बढ़ गई है। आलोचकों के अनुसार गोपनीयता का प्रविधान मुख्यरूप से सत्तारूढ़ दल का हितसाधन करता है। चुनावी बांड का जारीकर्ता एसबीआइ एक सरकारी बैंक है। इससे सरकार द्वारा विपक्षी दलों को चंदा देने वालों की पहचान की आशंका बनी रहती है। इससे सत्तारूढ़ दल को चुनावी बांडों की प्राप्ति में अवांछित वरीयता, बढ़त और लाभ मिलती है। एसोसिएशन फार डेमोक्रेटिक राइट्स (एडीआर) संगठन के याचिकाकर्ता ने तीन बुनियादी आधारों पर चुनावी बांड योजना की संवैधानिकता को चुनौती दी है। पहला, जानकारी का अधिकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और भाषण के अधिकार के अंतर्गत आता है, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) (ए) में वर्णित है। हालांकि यह योजना चयनात्मक गोपनीयता को प्रश्रय देती है, जिसमें दान प्राप्तकताओं को तो दानकर्ता की जानकारी होती है, लेकिन उसकी पहचान जनता से अप्रकट रहती है। दूसरा, यह भेदभावपूर्ण है, क्योंकि इससे राजनीतिक दल आसानी से विदेशी अनुदान प्राप्त कर सकते हैं, जबकि मीडिया और गैर-सरकारी संगठनों आदि के लिए सख्त नियमावली और पाबंदियां हैं।

+91 99877 75650
editor@rokthoklekhaninews.com
Faisal Shaikh @faisalshaikh_91

नहीं मिली एक कप चाय तो भड़क गए डॉक्टर

मरीज का ऑपरेशन बीच में छोड़ चले गए बाहर फिर...

नागपुर, किसी व्यक्ति की चाय की चाहत कितनी ज्यादा हो सकती है, इसका एक मामला महाराष्ट्र के नागपुर में देखने को मिल रहा है। यहां एक कप चाय के चक्कर में एक डॉक्टर की गजब की लापरवाही देखने को मिल रही है। चाय के दिवाने डॉक्टर ने चाय न मिलने पर परिवार नियोजन का ऑपरेशन बीच में छोड़ दिया और ऑपरेशन थियेटर से बाहर निकल गए। जानकारी दे दें नागपुर जिले के मौदा तहसील अंतर्गत खात गांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की यह घटना है।

खात गांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एक डॉक्टर भलावी कुछ महिलाओं का परिवार नियोजन का ऑपरेशन कर रहे थे, इस दौरान उन्होंने चार महिलाओ को एनेस्थीसिया लगाया और अपने लिए चाय मंगवाई, पर किसी कारणवश उनकी चाय उनतक समय से नहीं पहुंची। इस पर डॉक्टर साहब को इतना गुस्सा आया कि वो ऑपरेशन को बीच में ही छोड़ कर अस्पताल से रवाना हो गए। इस घटना से स्वास्थ केंद्र में हड़कंप मच गया।

जिन महिलाओं का ऑपरेशन नहीं हुआ, उनके परिजनों को जब इस बात की जानकारी हुई तो वे सभी जिला स्वास्थ्य अधिकारी मिलने पहुंचे और इस घटना की जानकारी दी। फिर प्रशासन ने दूसरे डॉक्टर को बुलाया और उन महिलाओं के ऑपरेशन किए। इस मामले को लेकर प्रशासन द्वारा जांच के लिए कमिटी का गठन किया गया है। जिसके रिपोर्ट आने के बाद डॉक्टर पर कार्रवाई की जाएगी। जिस किसी को भी जानकारी लग रही वे सरकारी विभाग के डॉक्टर के इस हरकत की निंदा कर रहे हैं।

इस घटना के सामने आने के बाद नागपुर जिला परिषद की सीईओ सौम्या शर्मा ने बताया है कि, हमारे पास शिकायत आने के बाद हमने जांच के आदेश दिए हैं। मामले पर जांच कमेटी का गठन किया गया है, रिपोर्ट आने के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होने ये भी दावा किया है कि, उन सभी 8 महिलाओं का परिवार नियोजन के ऑपरेशन उस दिन पूरे हुए थे।

चेंबूर एम पश्चिम विभाग मे पदस्त भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ महिलाओ ने निकाला मोर्चा

सिटीजन संस्था की महिलाओ ने भ्रस्ट सहायक आयुक्त धनाजी हेर्लेकर के विरोध मे जन आक्रोश मोर्चा

मुंबई (फिरोज सिद्दीकी) एम विभाग मनपा सहाय्यक आयुक्त धनाजी हेर्लेकर और कार्यकारी अभियंता नितीन कांबले की कार्यशैली का विरोध जताते हुये सिटीजन संस्था की महिलाओ ने उठाये कई सवाल ! आज दिनांक 06-11-2023 सोमवार को सिटीजन संस्था की महिला मंडल मोर्चा अध्यक्षा मिनाक्षीताई बोर्डे के नेतृत्व मे 22 कार्यकत्री महिलाओ ने कुर्ला एल विभाग मनपा मे होते हुये परिमंडल -5 एम/पश्चिम चेंबूर वार्ड का घेराव किया। इसके मनपा एल वार्ड के प्रांगण मे हल्ला बोल प्रदर्शन किया।

मोर्चे का आयोजन सिटीजन संस्था के अध्यक्ष सैय्यद मासूम अली द्वारा मनपा प्रशासन की अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के विरोध में किया गया। सिटीजन संस्था के बैनर तले किये गए मोर्चा में कुर्ला शहर मे चल रहे अवैध निर्माण व गेस्ट हाऊस फौजिया हॉस्पिटल के कार्यशैली मे अनियमिता की स्थिति में आंदोलन चलाए जाने की चेतावनी भी दी गई।

मोर्चे में संस्था के अध्यक्ष मासूम अली ने कहा कि मनपा एल विभाग के सभी अधिकारियो के कार्यों में भ्रष्टाचार है इस विषय की जांच मनपा उपायुक्त हर्षद काले को जल्द से जल्द करने की आवश्यकता है और मनपा उपायुक्त हर्षद काले ने तत्काल आदेश दिया है । इन सभी मूद्दो को हम गंभीरता से लेते हुये रोक लगाने के लिये प्रयासरत है।

मुस्लिम आरक्षण की मांग को लेकर सपा भी कूदी मैदान मे

अबु आसिम आजमी के नेतृत्व मे भिंडी बाजार से लेकर आजाद मैदान तक निकली साइकिल रैली

मुंबई (फिरोज सिद्दीकी) मुंबई मुस्लिम आरक्षण मिलने को लेकर सपा विधायक ,प्रदेश अधक्षय अबु असिम आजमी के नेतृत मे आज मुंबई के भिंडी बाजार से लेकर आजाद मैदान तक साइकिल रैली का आयोजन किया गया था! साइकिल रैली मे मौजूद मुस्लिम बाहुल्य जनता को संबोधित करते हुए अबु आसिम आजमी ने कहा की राज्य की शिंदे सरकार ने मराठा आरक्षण को लेकर सभी दलों के विधायको को लेकर मीटिंग बुलाई थी ! परंतु उस आरक्षण को लेकर होने वाली चर्चा से दूर रखा गया सपा को , या राज्य सरकार की दोहरी राजनीतिक ली कड़े शब्दों मे निंदा किया !

दैनिक रोकठोक लेखनी
खबरें बे-रोकटोक
मुंबई : बुधवार 08 नवंबर 2023

ठाणे में नाबालिग सौतेली बेटी से बलात्कार, दोषी व्यक्ति को उम्रकैद...

ठाणे : महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक अदालत ने 44 वर्षीय व्यक्ति को अपनी नाबालिग सौतेली बेटी से बलात्कार के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत मामलों की सुनवाई कर रही विशेष न्यायाधीश डॉ. रचना तेहरा ने सोमवार को पारित आदेश में दोषी पर 10,000 रुपये का जुमार्ना भी लगाया। विशेष लोक अभियोजक संध्या म्हात्रे ने अदालत को बताया कि ठाणे के मुंब्रा इलाके के निवासी आरोपी ने 2020 में अपराध को अंजाम दिया था, जब पीड़िता छह साल की थी। जब बच्ची की मां काम के लिए बाहर जाती थी तो आरोपी पीड़िता के नौ साल के भाई को भी धमकी देते हुए भगा देता था। इसके बाद वह बार-बार सौतेली बेटी से बलात्कार करता था।

अभियोजन पक्ष ने कहा कि आरोपी ने पीड़िता के शरीर के निजी और अन्य हिस्सों को मोमबत्ती और माचिस की तीलियों से जलाया था। न्यायाधीश ने अभियोजन पक्ष की दलीलों को स्वीकार किया और आरोपी को भारतीय दंड संहिता, पॉक्सो अधिनियम और किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम-2015 की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराया। पुलिस ने कहा कि मामले में पीड़िता और उसकी मां समेत अभियोजन पक्ष के पांच गवाहों से पूछताछ की गई।

राष्ट्रपति मुर्मू ने इंडियन आर्मी मेजर को किया टर्मिनेट

कर रहा था देश के लिए खतरे वाला काम, पटियाला पेग की भी हुई जांच

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इंडियन आर्मी मेजर को किया टर्मिनेट, कर रहा था देश के लिए खतरे वाला काम, पटियाला पेग की भी हुई जांच में यह पाया गया कि मेजर ने अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर सीक्रेट दस्तावेजों की एक कॉपी रखी थी जो सेना के नियमों के खिलाफ थी।

सेंज कमांड यूनिट में तैनात भारतीय सेना के एक मेजर की सेवाएं समाप्त कर दी हैं। सेना की जांच में पहले पाया गया था कि मेजर ने कई गलतियां की थीं जिसकी वजह से राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी खतरा पैदा हो गया था। राष्ट्रपति ने सेना अधिनियम, 1950 की धारा 18, संविधान के अनुच्छेद 310 के साथ और इस संबंध में उन्हें प्रदत्त अपनी सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश दिया कि मेजर की सेवाओं को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया जाए। ये आदेश 15 सितंबर को जारी किए गए थे और इस महीने की शुरूआत में स्ट्रैटेजिक फोर्सेज कमांड यूनिट में लागू किए गए थे, जहां मेजर उत्तर भारत में तैनात थे।

मेजर की गतिविधियों की जांच मार्च 2022 से की जा रही थी जब अधिकारी द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ समझौते से संबंधित मामलों की जांच के लिए अधिकारियों का एक बोर्ड बनाया गया था। स्ट्रैटेजिक फोर्सेज कमांड ने अधिकारियों के बोर्ड को डिजिटल उपकरणों को जब्त करने और संदिग्ध गतिविधियों/सोशल मीडिया उल्लंघनों/किसी भी सुरक्षा संबंधी चिंताओं, अनधिकृत लोगों के साथ जानकारी साझा करने/लीक करने में मेजर की संभावित संलिप्तता के बारे में प्रारंभिक जांच करने के लिए अधिकृत किया था। इसके साथ ही संदिग्ध वित्तीय लेनदेन और जासूसी गतिविधियों में उसकी संभावित भागीदारी की भी जांच की जा रही थी। बोर्ड को संबंधित सभी पहलुओं की जांच करने का भी काम सौंपा गया था। सूत्रों ने कहा कि यह पाया गया कि मेजर ने अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर सीक्रेट दस्तावेजों की एक कॉपी रखी थी जो सेना के नियमों के खिलाफ थी। उन्होंने बताया कि मेजर सोशल मीडिया चैट के जरिए एक पाकिस्तानी खुफिया ऑपरेटिव के भी संपर्क में था।

नाबालिग लड़की से यौन उत्पीड़न के आरोपी मेजर को पांच साल की सश्रम कैद, सेना से मिली अपमानजनक बर्खास्तगी

भारतीय सेना के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मेजर की दोस्ती की भी जांच की गई, जिनमें से कुछ पटियाला पेग नाम के एक व्हाट्सएप ग्रुप के मेंबर थे। उन्हें इस संबंध में कुछ अधिकारियों के खिलाफ आयोजित कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी में गवाह के रूप में बुलाया गया था।

100-100 रुपये के नोट लेकर मेले में पहुंचे युवक, खरीद रहे थे मिठाई और पान; शक हुआ तो बुला ली पुलिस, फिर...

शाहजहांपुर : नकली नोट लेकर रामलीला मेले में पहुंचे बरेली के दो युवकों को मीरानपुर कटरा पुलिस ने पकड़ लिया। दोनों के पास 15 हजार 200 के नकली नोट बरामद हुए। दोनों ने बरेली के सोनू नाम के युवक से खरीदकर लाना स्वीकार किया है। पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में बरेली गई है। कटरा में रामलीला मेला चल रहा है। शनिवार को बरेली के भूता क्षेत्र के फैजनगर गांव निवासी अकील व इरफान हुसैन 100-100 रुपये के नकली नोट लेकर पहुंच गए। एक दुकान पर मिठाई व पान मसाला खरीदे समय व्यापारी को जब नकली नोट होने का शक हुआ तो उन्होंने पुलिस को सूचना दे दी। छह हजार रुपये में खरीदे नोट : पुलिस ने घेराबंदी कर दोनों को पकड़ लिया। तलाशी लेने पर करीब 15 हजार के नकली नोट बरामद हुए। पूछताछ में दोनों ने बताया कि बरेली के सेटेलाइट से सोनू नाम के युवक से छह हजार रुपये में नकली नोट खरीद कर लाए थे।

उद्धव शिवसेना के नेता अनिल परब के करीबी को अदालत से झटका,

रिसॉर्ट को गिराने पर रोक का आदेश रद्द

महाराष्ट्र : महाराष्ट्र के रत्नागिरी की एक अदालत से सदानंद कदम को बड़ा झटका लगा है। अदालत ने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना के नेता अनिल परब के करीबी कदम के दापोली में बने साईं रिजॉर्ट को गिराने पर लगी रोक के आदेश को रद्द कर दिया है। रत्नागिरी के खेड़ की जिला अदालत ने चार नवंबर को जारी आदेश में कहा कि यह मामला सिर्फ निर्माण कानूनों के उल्लंघन का मामला नहीं है, बल्कि वादी (कदम) ने तटीय विनियमन क्षेत्र (सीआरजेड) नियमों और विनियमों के प्रावधानों का भी उल्लंघन किया है। पीठ ने कहा कि अगर इस तरह के ढांचे के निर्माण को बचाया जाता है तो यह गैरकानूनी होगा।

यह है मामला

गौरतलब है, कदम ने परब से एक प्लॉट खरीदा था। बाद में उस जगह पर रिसॉर्ट बनाया। जून 2021 में, रत्नागिरी कलेक्टर ने इसे गिराने का नोटिस जारी किया गया था क्योंकि इसे बनाने से पहले अनुमति नहीं ली गई थी। कदम ने बाद में रत्नागिरी के खेड़ में एक सिविल अदालत के समक्ष नोटिस के खिलाफ मुकदमा दायर किया। यहां अदालत ने इस साल मार्च में रिसॉर्ट को गिराने पर रोक लगा दी थी। इसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने कलेक्टर के माध्यम से निषेधाज्ञा आदेश के खिलाफ अपील दायर की।

अपने जोखिम पर किया निर्माण

खेड़ के वर्तमान जिला न्यायाधीश पी एस चांदगुडे ने चार नवंबर के आदेश में निषेधाज्ञा के आदेश को रद्द करते हुए कहा कि अगर इस तरह के ढांचे के निर्माण को बचाया जाता है तो यह गैरकानूनी होगा। कदम ने इस रिसॉर्ट का निर्माण अपने जोखिम पर किया था। वह निर्माण के समय शर्तों के बारे में जानते थे कि नो डेवलपमेंट जोन के भीतर निर्माण करने की अनुमति नहीं है। उच्चतम न्यायालय के पूर्व के एक आदेश का हवाला देते हुए जिला अदालत ने कहा कि देश के कानून का पालन करना होगा और उसे लागू करना होगा।

एक एकड़ जमीन पर कराया गया रिजॉर्ट का निर्माण

साई रिजॉर्ट एनएक्स के संबंध में जांच के दौरान यह पता चला था कि दापोली रत्नागिरी में स्थित 42.14 गुंटा (एक एकड़ से अधिक) की भूमि पर बनाया गया है। ईडी की चार्जशीट में कहा गया है कि इसे विभास साठे से अनिल परब ने एक करोड़ रुपये में खरीदा था। इसका सौदा 1.80 करोड़ रुपये में तय किया गया था और परब ने जमीन खरीदने के लिए 80 लाख रुपये की बेहिसाब नकदी का इस्तेमाल किया, जिससे इसकी वास्तविक कीमत कम हो गई।

रिजॉर्ट के निर्माण में नियमों का किया गया उल्लंघन

चार्जशीट में कहा गया, अनिल परब ने अपने बेहिसाब पैसे का निवेश करके साई रिजॉर्ट एनएक्स का निर्माण कराया। साथ ही सीआरजेड III नियमों का भी उल्लंघन किया गया। ईडी ने कहा कि परब के सहयोगी और आरोपी सदानंद कदम ने कृषि भूमि की खरीद और इसके निर्माण के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

पति की खानदानी संपत्ति में पत्नी का कितना अधिकार है?

मुंबईः भारतीय संविधान में संपत्ति को लेकर कई तरह की बातें कही गई है जिसका पालन करना हर किसी का कर्तव्य है। एक समय ऐसा हुआ करता था कि महिलाओं को अपने परिवार के संपत्ति को लेकर कोई फैसला लेने की आजादी नहीं थी, क्योंकि यह काम पुरुषों के हाथ में हुआ करता था। लेकिन अब समय बदल रहा है जिस वजह से महिलाओं को लेकर भी बातें हो रही है। कानून में महिलाओं के हक की बात की गई है जिसमे यह भी बताया गया है कि परिवार में उनका कितना हक है। आज के दौर में महिलाओं को लेकर हमेशा कुछ ना कुछ बातें होती रहती है। इस वजह से बहुत सारे लोग यह सोच रहे होंगे कि पति के खानदानी संपत्ति में पत्नी का कितना अधिकार होता है? तो चलिए आज हम इस सवाल का उत्तर जानते हैं।

पति के नाम पर संपत्ति हो तो पत्नी को कितना अधिकार मिलेगा?

इस तरह के सवाल लोगों के मन में तब आने लगते हैं जब किसी पति-पत्नी के बीच तलाक होता है। भारतीय संविधान के अनुसार यदि संपत्ति पति ने खुद बनाई है और वह उन्ही के नाम पर है तो तलाक के बाद भी पत्नी को उसमे कोई अधिकार नहीं मिलेगा। इसके अलावा पति खुद की नाम पर कोई प्रॉपर्टी खरीदता है तो उस पर पत्नी दावा नहीं कर सकती है। क्योंकि भारतीय संविधान में यह साफ-साफ लिखा हुआ है कि किसी संपत्ति का मालिक वही हो सकता है जिसके नाम पर वह प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड है।

इस स्थिति में पत्नी कर सकती है दावा

भारत में ऐसे बहुत सारे पति-पत्नी है जो संपत्ति खरीदने के बाद दोनों अपने-अपने नाम पर रजिस्टर्ड करवाते हैं। उस स्थिति में उसका मालिकाना हक दोनों के पास मौजूद होता है। जब कभी उन दोनों के बीच तलाक होता है तब वो दोनों अपनी-अपनी संपत्ति पर दावा कर सकते हैं, लेकिन पत्नी को उस दौरान इस चीज का प्रूफ देना पड़ेगा कि उन्होंने उस प्रॉपर्टी को खरीदने में अपना योगदान दिया है। यदि वो ऐसा करने में असफल रहती है तो फिर उस संपत्ति पर दावा नहीं कर सकती है। यदि पत्नी उस संपत्ति को लेकर यह दावा करने में सफल होती है कि उन्होंने उसे खरीदने में अपना योगदान दिया था। उसके बाद उन्हें उसमे उतनी ही प्रॉपर्टी दी जाएगी, जितना उन्होंने योगदान दिया था। जिन लोगों को लगता है कि भविष्य में उनके साथ ऐसा कुछ हो सकता है तो इसके लिए उन्हें पहले से सभी दस्तावेज रखने चाहिए।

बेघरों को घर उपलब्ध कराने सीएसआर फंड की जुगाड़ में बीएमसी...

मुंबई में लगभग 47 हजार लोग फुटपाथ पर सोते हैं

मुंबई : महानगर में सड़कों, फुटपाथों व अन्य स्थानों पर रहनेवाले बेघरों के लिए बीएमसी कई वर्षों से शेल्टर होम उपलब्ध कराने की योजना बना रही है। लेकिन अब तक सफल नहीं हो पाई है। बीएमसी के सर्वे में पता चला है कि मुंबई में लगभग 47 हजार बेघर लोग सड़कों के किनारे और फुटपाथों पर रहते हैं। इनके लिए 125 शेल्टर होम की आवश्यकता है। जबकि बीएमसी के पास अभी बेघर के रूप में प्रौढ़ लोगों के लिए 12 सेल्टर होम शुरू है इसकी कुल क्षमता 342 व्यक्ति की है। और 18 साल से कम उम्र बेघर बच्चों के लिए 11 सेल्टर सेंटर हैं। इनकी कुल क्षमता 590 बच्चों को रखने की है। बीएमसी के एक अधिकारी ने बताया कि बीएमसी ने एमएमआरडीए, म्हाडा, एसआरए और बीपीटी से शेल्टर होम के लिए जगह मांगी थी लेकिन वहां से सकारात्मक प्रतिसाद नहीं मिला। अब बीएमसी ने कॉर्पोरेट, बैंक, उद्योग और अन्य संस्थाओं से csr fufd इस्तेमाल कर शेल्टर होम निर्माण में मदद करने को कहा है। अधिकारी ने बताया शेल्टर होम के निर्माण पर बीएमसी गंभीरता से काम कर रही है। शेल्टर होम में बेघरों के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कार्पोरेट, बैंक, उद्योग और अन्य संस्थाओं से सीएसआर फंड का इस्तेमाल कर शेल्टर होम में मदद के लिए कोशिश कर रही है। अधिकारी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार हमारी कोशिश है कि मुंबई में कोई भी व्यक्ति फुटपाथ या अन्य स्थान पर रात न बिताए। इसलिए हमने मुंबई में सर्वे किया और पाया कि लगभग 47 हजार बेघर लोगों को आसरे की आवश्यकता है। इस संबंध में मुंबई शहर के पालक मंत्री दीपक केसरकर ने भी पिछले दिनों कदम उठाने को कहा था। अधिकारी ने कहा कि बेघर लोगों को आश्रय गृह में तत्काल पहुंचाने व आश्रय देने के साथ उन्हें स्वावलंबी बनाने की भी योजना है। जिससे वे अपने पैरों पर खड़े हो सकें। चांदिवली, दहिसर, अंधेरी और गोवंडी में नए शेल्टर होम बनाए जाएंगे। साथ ही अन्य 11 स्थानों पर शेल्टर होम के लिए प्लॉट चिन्हित किये गए हैं।

मुंबई में दिसंबर में होगी इलेक्ट्रिक वॉटर टैक्सी की शुरूआत,

कहां से कहां तक चलेंगी ? जानें और भी बहुत कुछ...

मुंबई : मुंबई में आगामी दिसंबर में इलेक्ट्रिक वॉटर टैक्सियों की शुरूआत होने जा रही है. इसके साथ ही भारत की यह बिजनेस कैपिटल अपने ट्रांसपोर्ट में एक उल्लेखनीय बदलाव का गवाह बनने जा रही है. ये इनोवेटिव वॉटरक्राफ्ट दक्षिण मुंबई में प्रतिष्ठित गेटवे ऑफ इंडिया और नवी मुंबई में बेलापुर के बीच की दूरी को पाटने का काम करेंगे. ये इलेक्ट्रिक वॉटर टैक्सियां स्थानीय निवासियों और मेहमानों दोनों के लिए एक टिकाऊ और सुरक्षित यात्रा विकल्प मुहैया कराएंगे.

इन्फिनिटी हार्बर सर्विस चलाएगा टैक्सियां

एक प्रमुख निजी वॉटर टैक्सी ऑपरेटर, इन्फिनिटी हार्बर सर्विस ने चार अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक वॉटर टैक्सियां प्राप्त करने के लिए पर्याप्त निवेश किया है, जिनमें से प्रत्येक की कीमत लगभग 2.5 करोड़ रुपये है. टिकाऊ परिवहन के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के प्रमाण के रूप में, दो 24 सीटों वाली इलेक्ट्रिक वॉटर टैक्सियां वर्तमान में गोवा के सुंदर तटों पर कठिन परीक्षण दौर से गुजर रही हैं, जबकि अतिरिक्त दो छह सीटों वाली वॉटर टैक्सियां गोवा के खूबसूरत जलमार्गों में अपनी गति से चल रही हैं. इन्फिनिटी हार्बर सर्विस के मैनेजिंग पार्टनर सोहेल कजानी ने घोषणा की कि 24 सीटों वाली इलेक्ट्रिक वॉटर टैक्सी दक्षिण मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया को नवी मुंबई में बेलापुर से जोड़ने वाले मार्ग पर ले जाने के लिए तैयार है. यह पर्यावरण के प्रति जागरूक जल परिवहन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.

इन इलेक्ट्रिक वॉटर टैक्सियों की सबसे उल्लेखनीय विशेषताओं में से एक उनकी एनर्जी एफिशिएंसी है. वे एक बार चार्ज करने पर लगातार चार घंटे तक चल सकती हैं. जबकि पारंपरिक बोट प्रति घंटे 140 लीटर डीजल की खपत करती है. यह न केवल पर्याप्त लागत बचत का वादा करती है, बल्कि मुंबई की जल परिवहन प्रणाली के लिए एक हरित, अधिक टिकाऊ भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम का भी प्रतिनिधित्व करती है.

महाराष्ट्र में ठंडी के बीच इस जिले में होगी बारिश

महाराष्ट्र : पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र के मौसम में बदलाव हो रहे है। एक ओर जहां महाराष्ट्र समेत देशभर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। वहीं, महाराष्ट्र समेत देश के कुछ हिस्सों में बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के पूवार्नुमान के मुताबिक अरब सागर में कम दबाव का क्षेत्र बन गया है।

ऐसे में अब इसका सीधा असर देश के साथ-साथ प्रदेश की आबोहवा पर भी पड़ रहा है। मौसम विभाग ने पश्चिमी डिस्टर्बन्स के कारण अगले कुछ दिनों तक देश के कुछ हिस्सों में बारिश की भविष्यवाणी की है। ऐसे में आइए जानते है महाराष्ट्र के कोनसे हिस्सों में होने वाली है बारिश। सामने आ रही जानकारी के मुताबिक, अगले दो से तीन दिनों तक महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने सिंधुदुर्ग, सतारा और कोल्हापुर में बिजली गिरने के साथ बारिश की भविष्यवाणी की है।

ओबीसी को आरक्षण देने वाले अध्यादेश को रद्द करने को लेकर मुंबई हाईकोर्ट में याचिका दाखिल...

मुंबईः ओबीसी को आरक्षण देने वाले अध्यादेश को रद्द करने को लेकर मुंबई हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। वहीं इस संदर्भ में पहले से प्रलंबित याचिका पर आज के आज सुनवाई करने से चीफ जस्टिस ने इंकार कर दिया है। अब कल यानी कि 8 नवंबर के दिन दूसरी याचिकाओं के साथ क्लब कर इसकी सुनवाई की जाएगी। याचिका में कहा गया है कि महाराष्ट्र में ओबीसी आरक्षण का अध्यादेश रद्द किया जाये। साथ ही यह भी कहा गया है कि ओबीसी आरक्षण का सर्वेक्षण किया जाए और तब तक इस ओबीसी आरक्षण को स्थगित कर दिया जाए।

कई याचिकाओं को क्लब करके होगी सुनवाई

बता दें कि यह याचिका मराठा समाज के वकीलों ने 23 मार्च 1994 के अध्यादेश के खिलाफ दायर की है। यह याचिका बालासाहेब सराटे, प्रशांत भोसले और शिवाजी कवठेकर ने मुंबई हाईकोर्ट में दायर की है। फिलहाल तो चीफ जस्टिस ने सुनवाई से इंकार कर दिया है, लेकिन अब इस मामले पर सुनवाई अन्य याचिकाओं के साथ क्लब करके की जाएगी।

बता दें कि हाल ही में मराठा आरक्षण की मांग को लेकर राज्य भर में प्रदर्शन हो रहा था। हालांकि इस समय यह प्रदर्शन शांत है, लेकिन मराठा आरक्षण की आंच कब भड़क उठेगी यह कोई नहीं जानता। हाल ही में मराठा आरक्षण को लेकर 25 अक्टूबर से सामाजिक कार्यकर्ता मनोज जरांगे पाटिल धरना दे रहे थे। हालांकि काफी मान-मनौव्वल के बाद 2 नवंबर को उन्होंने अनशन खत्म किया। वहीं जरांगे ने महाराष्ट्र सरकार को मराठा आरक्षण लागू करने के लिए 2 जनवरी 2024 तक का अल्टीमेटम दिया है।

नवी मुंबई के मंदिर में महापाप... 40 हजार रुपये चुराकर चोर फरार

ठाणे : नवी मुंबई उपनगर में स्थित एक गणेश मंदिर से दो अज्ञात व्यक्तियों ने करीब 40 हजार रुपये कथित तौर पर चुरा लिए। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी। पुलिस के मुताबिक, घटना नेरुल इलाके के शिरवणे में स्थित मंदिर में सोमवार तड़के की है। नेरुल थाने के एक अधिकारी ने शिकायत के हवाले से बताया कि दो व्यक्तियों ने मंदिर परिसर में रखी दान पेटी को तोड़ दिया और उसमें से 35 से 40 हजार रुपये की नकदी निकाल ली। मंदिर के सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे आरोपियों की उम्र 25 से 30 साल के बीच मानी जा रही है। दोनों आरोपियों में से एक ने अपने चेहरे को रुमाल से ढका हुआ है जबकि दूसरे व्यक्ति ने काला मास्क पहना हुआ है। मंदिर के ट्रस्टी की शिकायत के आधार पर पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 380 (चोरी), 457 (अपराध करने के लिए रात में गुप्त रूप से घर में अतिक्रमण करना या घर में सेंध लगाना)और 34 (साझा मंशा) के तहत मामला दर्ज कर लिया है।

गांजा मामले में फरार आरोपी गिरफ्तार

वसई : आचोले पुलिस स्टेशन (मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस आयुक्तालय ने एनडीपीएस एक्ट मामले में वांछित आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता अर्जित की है। पुलिस अधिकारी यह जानकारी सोमवार को दी है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि, आचोले पुलिस स्टेशन में अपराध रजि. नं. 312/2023 एनडीपीएस एक्ट 1985 कलम 8 (क), 22 के तहत 23 जून 2023 में दर्ज किया गया था। अपराध की जांच में उक्त अपराध में शख्स नाम के लालू उर्फ भावेश प्रभाकर चव्हाण (निवासी रुम नं. डी/102, कांती एव्हन्यु बिल्डींग, डी-मार्ट के पास, नालासोपारा पूर्व) की संलिप्तता पायी गयी. वारदात को अंजाम देने के बाद से ही उक्त आरोपी फरार था। उसकी तलाश कर दिनांक 31 अक्टूबर को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, 6 नवंबर तक कुल 6 दिन तक पुलिस हिरासत में लिया गया था। पुलिस के बताया कि जब उक्त आरोपी का इतिहास जांचा गया तो वह उसके खिलाफ गंभीर मामले विभिन्न पुलिस स्टेशनों में दर्ज है, जिसमे 307,326,324,386 आदि धाराएं समावेश है, पुलिस ने कहा कि कुल 05 मामले दर्ज किये गये हैं। पुलिस ने कहा कि आरोपी लालू उर्फ भावेश प्रभाकर चव्हाण एक शातिर अपराधी है जो विभिन्न अपराध करता है, और वह एक साथीदार के साथ अपराध करता है। आचोले पुलिस स्टेशन में अपराध रजि. नं. 312/2023 एनडीपीएस एक्ट 1985 कलम 8 (क) 22 इस अपराध में उसने अपने साथी के साथ मिलकर इस अपराध को अंजाम दिया, (1). अदनान मोहम्मद हुसेन खान, (2). आयान इरशाद खान, (3) आसु ऊर्फ अशरफ आसिफ शेख, (4) अजित गुलाबचंद कनोजीया, (5) मंगल गोपी वंजारा, वह फोन पर ऑर्डर लेता था और ऑर्डर के मुताबिक मादक पदार्थ गांजा बेचता था, उक्त अपराध में आपकी संलिप्तता उजागर नहीं होनी चाहिए, ऐसे प्रयास किए गए लेकिन तकनीकी विश्लेषण के आधार पर मुख्य आरोपी की संलिप्तता स्थापित की गई और उसे सफलतापूर्वक गिरफ्तार कर लिया गया। आगे की तहकीकात पो.उप.नि. सुहास म्हात्रे कर रहे है।

मालिक, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक फैसल शेख ने सोमानी प्रिन्टिंग प्रेस, गाला नं.4, एन. के. इंडस्ट्रीयल इस्टेट, प्रवासी इंडस्ट्रीयल इस्टेट के अंदर, गेट नं. 2, गोरेगांव (पूर्व), मुंबई- 400063 से छपवाकर रूम नं 15 रमजान बिन 17 सी वंजावडी, माहिम वेस्ट मुंबई :4000 16 से प्रकाशित किया। संपर्क कार्यालय : शॉप नंबर ४ , मदीना मेंशन, ८९ ए, कैडल रोड, अपोजिट बिल्लाबोंग स्कूल, माहिम पश्चिम, मुंबई ४०००१६ , महाराष्ट्र मोबाइल नं 998777 5650 व्हाट्सप्प नं 7977408589: Email-editor@rokthoklekhaninews.com